दिनांक 12-13 अप्रैल, 2024 को निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की अध्यक्षता में आहूत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम विषयक समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : अलग से संधारित।

प्रसार शिक्षा निदेशालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के पत्र सं0 04 दिनांक 01.04.2024 के आलोक में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना पर बैठक निदेशक प्रसार शिक्षा, बि.कृ.वि., सबौर की अध्यक्षता में आज दिनांक 12-13 अप्रैल, 2024 को आहूत की गयी। बैठक के प्रारंभ में नोडल पदाधिकारी, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के द्वारा सभी वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, विषय वस्तु विशेषज्ञ सहित उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा संबंधित विषय पर समीक्षा की गयी। बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, भागलपुर, भोजपुर, मानपुर (गया), जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, सुपौल, कैमूर एवं जमुई के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत किये गये कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। गहन चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये तथा कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक सुझाव दिया गया-

1. दिनांक 30.01.2024 को सचिव, कृषि, बिहार की अध्यक्षता में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के सूत्रण हेतु आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत सभी 38 जिलों में Agroclimatic Zone एवं जिले की जलवायु के अनुकूल जिलावार फसल पद्धति को निर्धारित करने का निदेश दिया गया। बिहार के सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जलवायु के अनुकूल फसल के प्रत्यक्षण का रकवा यथा मक्का का रकवा 30-35 प्रतिशत, मोटे अनाज का रकवा 30 प्रतिशत, दलहन का रकवा 10 प्रतिशत तक किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में धान के प्रत्यक्षण का रकवा 20 प्रतिशत से अधिक न रखा जाय। खरीफ मौसम में मक्का एवं मोटे अनाज की खेती का रकवा बढ़ाने का सुझाव आया है जिसे 2024-25 कर कार्य योजना में शामिल किया जाय। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी के साथ-साथ फसल पद्धति तथा फसल प्रभेदों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया जिससे किसानों को अच्छी पैदावार एवं उनकी आय में वृद्धि हो सके।
2. रबी मौसम में गेहूँ के आच्छादन का रकवा 10-15 प्रतिशत करके अन्य फसलों यथा रबी मक्का, दलहन एवं तेलहन फसल को प्रोत्साहित किया जाना है साथ ही रबी मौसम में अधिक अवधि वाले सरसों के प्रभेदों को शामिल करने पर बल दिया गया।
3. गरमा मौसम में मूँग, उरद के अलावा तिल, चीना सांवा तथा अन्य गरमा फसलों के प्रत्यक्षण को प्रोत्साहित किया जाय।
4. कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रस्तुतिकरण में Cropping system productivity (q/ha.) एवं Cropping system profitability का डाटा उपलब्ध नहीं था जिसे संशोधित कर प्रस्तुतिकरण निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
5. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के गाँवों में सूक्ष्म सिंचाई योजना, यांत्रिकरण योजना, वागबानी योजना आदि को सम्मिलित किया जाय ताकि कृषकों को कृषि विभाग की उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
6. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत 01 गाँव का चयन कर उसे मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाय।
7. लेजर लैण्ड लेवलिंग के माध्यम से प्रत्यक्षण ससमय सुनिश्चित किये जाय। इस कार्य हेतु जिले में पहले से स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर की मदद ली जाय।
8. सभी कृषि विज्ञान केन्द्र कस्टम हायरिंग हेतु विभिन्न कृषि यंत्रों के शुल्क/घंटे का निर्धारण समान रूप से किया जाय।
9. मोटे अनाज की खेती के प्रचार-प्रसार हेतु किसानों का प्रशिक्षण, क्षमता संवर्द्धन एवं क्षेत्र भ्रमण कराया जाय।

10. सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को निदेशित किया गया कि e-Agrology App में किसानों से संबंधित सूचना 15 दिनों के अन्दर भरना सुनिश्चित करें।
11. सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को निदेशित किया गया कि फसल कटनी उपरान्त प्राप्त आँकड़ों को बामेती, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये Google Sheet में भरना सुनिश्चित किया जाय।
12. कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में दीर्घ अवधि परीक्षण के डाटा को संधारित करते हुए मिट्टी के नमूनों का फसल लगाने से पहले एवं कटाई उपरान्त नमूना लेकर उसकी जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत नामित Co-P.I. एवं शोध/तकनीकी सहायक कम से कम 01 किसान के सफलता की कहानी निम्न प्रारूप के आधार पर प्रत्येक सप्ताह जलवायु अनुकूल कोषांग, बामेती एवं प्रसार शिक्षा निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें-

- Name & Address of the Farmers with Mobile No.
- What technology he was using previously. What was his yield using traditional method of cultivation.
- What change in technology he did while using CRA
- What was the benefit he got now in comparison of traditional method he was using.
- Action Photographs

14. दिनांक 21.03.2024 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में फसल अवशेष को खेतों में न जलाने से संबंधित बैठक में दिये गये निदेश के क्रम में निर्णय लिया गया कि ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्र जहाँ बायोचार यूनिट नहीं है वहाँ बायोचार यूनिट की स्थापना कराई जाय।

(अनुपालन : वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान/ Co-P.I/RA/TA **सी.आर.ए. कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र)**

15. कृषि विज्ञान केन्द्र, बाँका, रोहतास, गया, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, नालन्दा में बायोचार से संबंधित किये जा रहे अनुसंधान कार्यो की उपज संबंधित आँकड़े तथा धान-गेहूँ फसल के पूर्व एवं कटनी के बाद मिट्टी के नमूनों की जाँच हेतु परियोजना की P.I. डॉ. कश्तुरी, कनीय वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान, बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर से समन्वय स्थापित करके 15 दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन : डॉ. कश्तुरी/संबंधित नामित विषय वस्तु विशेषज्ञ (बायोचार))

16. सभी कृषि विज्ञान केन्द्र जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के विगत पाँच/चार वर्षो के आँकड़ों के आधार पर Research Paper तैयार कर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम कोषांग, बि.कृ.वि., सबौर के अनुमोदनोपरांत प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : नोडल पदाधिकारी/वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान/ Co-P.I/RA/TA **सी.आर.ए. कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र)**

17. सभी कृषि विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिकों ने अनुरोध किया कि नव नियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञों को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में Co-P.I. के रूप में नामित किया जाय।
18. दिनांक 30.01.2024 को सचिव, कृषि, बिहार की अध्यक्षता में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के सूत्रण हेतु आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय लिया गया था कि आर.पी.सी.ए.यू., पूसा, समस्तीपुर एवं बी.ए.यू., सबौर, भागलपुर के 01-01 प्राध्यापक को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाय ताकि समय-समय पर वे उन ग्रामों का भ्रमण करें एवं संबंधित किसानों को प्रशिक्षित कर उनकी समस्याओं का निदान करें। इस क्रम में संबंधित महाविद्यालयों से अनुभवी सस्य वैज्ञानिक को कार्यक्रम में Co-P.I. के रूप में नामित करने का सुझाव दिया गया।

(अनुपालन : नोडल पदाधिकारी, सी.आर.ए., बि.कृ.वि., सबौर)

19. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की गतिविधियों पर मीडिया सेन्टर, बि.कृ.वि., सबौर की मदद से वृत्तचित्र तैयार किया जाय।

(अनुपालन : नोडल पदाधिकारी, सी.आर.ए. कार्यक्रम /प्रभारी, मीडिया सेन्टर, बि.कृ.वि., सबौर)

20. IRRI-ISARC, Varanasi द्वारा किसानों के प्रशिक्षण हेतु निम्न तालिका अनुसार कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है-

(क) कृषकों के लिये -

क्रमांक	प्रस्तावित तिथि	प्रस्तावित जिला	प्रत्येक जिला से प्रस्तावित किसानों की संख्या
1.	05-07 जून, 2024	कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, पटना, भोजपुर	05
2.	10-12 सितम्बर, 2024	भागलपुर, बाँका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद	05
3.	25-27 सितम्बर, 2024	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज	05

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक/विषय वस्तु विशेषज्ञ/शोध/तकनीकी सहायक -

क्रमांक	प्रस्तावित तिथि	प्रत्येक परिभ्रमण में प्रस्तावित प्रशिणार्थियों की संख्या
1.	20-22 जून, 2024	30
2.	17-19 सितम्बर, 2024	30

(अनुपालन : नोडल पदाधिकारी, सी.आर.ए., बि.कृ.वि., सबौर/निदेशक प्रसार शिक्षा, बि.कृ.वि., सबौर)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ज्ञापांक : 181(Review)/प्र.शि.नि./बि.कृ.वि., सबौर/ 210 दिनांक : 24-04-2024

प्रतिलिपि :

- सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, बि.कृ.महा., सबौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- नोडल पदाधिकारी, सी.आर.ए., बि.कृ.वि., सबौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- सह निदेशक प्रसार शिक्षा, बि.कृ.वि., सबौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- निदेशक, बामेती, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- डॉ. राजकुमार जाट, बीसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक, भा.कृ.अनु.परि.-अटारी, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sanjay Kumar

नोडल पदाधिकारी, सी.आर.ए.,
बि.कृ.वि., सबौर

24.04.24

निदेशक प्रसार शिक्षा
बि.कृ.वि., सबौर

कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।